न्यायालय श्री मान प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म॰प्र॰

1॰ मुस0 बसती पति स्व0 श्री भोला प्रसाद बानी उम्र 58 साल, निवासी खटखरी तहसील हनुमना, जिला रीवा म॰प्र॰

2॰ कामता प्रसाद गुप्ता तनय स्व0 श्री भोला प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम खटखरी तहसील हनुमना, जिला रीवा म॰प्र॰ ---- निगरानीकर्तागण

बनाम

2 1747-II/12

1॰ मुन्नालाल तनय तेजई बानी सा0 खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म॰प्र॰

2॰ शासन म॰प्र॰ ---- गैरनिगरानी कर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्री मान अपर कलेक्टर महोदय, जिला रीवा के आदेश दिनांक 15॰5॰12 एवं प्रकरण क्र0 283/अ 12/11-12 व नायब तहसीलदार हनुमना का आदेश दिनांक30॰1॰12 अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰ 1959ई0

14-6-12

मान्यवर,

R.K. Deewan 14/6/12

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यह कि माननीय अधी0 न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2॰ यह कि माननीय अधी0 न्यायालय अपर कले0 महोदय जिला रीवा के न्यायालय मे नायब तहसीलदार वृत्त खटखरी, तहसील हनुमना के आदेश दि0 30॰1॰2012 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जो दिनांक 4॰5॰12 को माननीय अधी0 न्यायालय द्वारा तर्क सुना गया और विचारार्थ हेतु प्रकरण दिनांक 15॰5॰12 को नियत किया गया । और दिनांक 15॰5॰ 2012 को अधिकारिता विहीन आदेश पारित किया गया है जो आदेश विधि अनुकूल न

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

(76)

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1747/P/12, रीवा बसंती / मुन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री के. के. द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 283/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 15/05/12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	